

dk: kly: ifyl v/khfk d tui n xks Mk fnuk d 16-11-2022

'kkfrHkx dh vk'kadk ds eisutj ifyl }kjk dh x: h dk: bkgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

12 okj\h vfhk: ä fxj rkrkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 06, थाना कटराबाजार पुलिस ने 03, थाना तरबगंज पुलिस ने 01, थाना परसपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

l jkguh; dk; l
cs ukv
ehfM; k l sy] tuin xks Mk
fnukd 16-11-2022

voŷk reps ds l kfk 01 vfHk; iä fxj rkrkj &

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रयदृविक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त संजय शर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

fxj rkrkj vfHk; iä &

01. संजय शर्मा पुत्र राजाराम निवासी कुर्मीपुरवा धनेश्वरपुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।

i athkur vfHk; ksx &

01. मु0अ0सं0- 486/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

cjkenxh &

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस।

fxj rkrkj drkl Vhe &

01. उ0नि0 शरद कुमार मय टीम ।